

मानव-पशु संघर्ष

प्रीलमिस:

मानव-पशु संघर्ष, [वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972](#), [राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण](#), [जैवविविधता अधिनियम, 2002](#)

मेन्स:

मानव-पशु संघर्ष, मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे और समाधान।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

पशुओं के हमलों से लगातार हो रही मौतों और उन पर बढ़ते गुस्से के बीच, केरल ने [मानव-पशु संघर्ष](#) को [राज्य-वशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है](#)।

- यह घोषणा एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे को कैसे संबोधित करती है, इसमें शामिल ज़िम्मेदारियों और अधिकारियों को बदल दिया जाता है।

राज्य-वशिष्ट आपदा के रूप में राज्य मानव-पशु संघर्ष को कैसे नियंत्रण करते हैं?

स्थिति	वर्तमान प्रबंधन	प्रस्तावित परिवर्तन (राज्य वशिष्ट आपदा)
उत्तरदायित्व	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत वन विभाग।	आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
नरिण्यदाता अधिकारी	मुख्य वन्यजीव वार्डन	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री)
ज़िला स्तरीय प्राधिकरण	ज़िला कलेक्टर कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में	ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में ज़िला कलेक्टर
हस्तक्षेप क्षमता	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा सीमिति	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नरिणायक कार्रवाई करने की शक्तियों में वृद्धि
न्यायिक नरिणक्षण	वन्यजीव कानूनों के तहत नरिणयों पर न्यायालय में प्रश्न उठाए जा सकते हैं	आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के कारण सीमिति न्यायिक हस्तक्षेप
न्यायालयों का क्षेत्राधिकार	न्यायालय प्रासंगिक वन्यजीव कानूनों के तहत मुकदमों पर वचिार कर सकती हैं	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025 (धारा 71) के तहत कार्रवाई से संबंधित मुकदमों पर केवल उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ही वचिार कर सकता है।
मानदंडों को ओवरराइड करने की क्षमता	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सीमिति	घोषित आपदा अवधि के दौरान वन्यजीव कानूनों सहित अन्य मानदंडों को समाप्त करने का अधिकार (धारा 72 के तहत)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 71 के अनुसार, कोई भी न्यायालय (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को छोड़कर) को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में संबंधित अधिकारियों द्वारा किये गए किसी भी मामले के संबंध में [किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर वचिार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा](#)।

- अधिनियम की धारा 72 में कहा गया है कड़िस अधिनियम के प्रावधानों का आपदा घोषित होने की वशिष्ट अवधिके दौरान कसिी अन्य कानून पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा ।
- अन्य राज्य-वशिष्ट आपदाएँ:
 - वर्ष 2015 में ओडिशा ने सर्पदंश को राज्य-वशिष्ट आपदा घोषित कया ।
 - वर्ष 2020 में केरल ने **कोवडि-19** को राज्य वशिष्ट आपदा घोषित कया ।
 - इसके अतरिकित वर्ष 2019 में **हीट वेव, सनबरन और सनसटरोक**, वर्ष 2017 में **सॉइल पाइपगि** की परघटना और वर्ष 2015 में **आकाशीय बजिली/तडडत** तथा **तटीय कषरण** को भी राज्य-वशिष्ट आपदा घोषित कया गया ।

मानव-पशु संघर्ष क्या है?

- **परचिय:**
 - मानव-पशु संघर्ष उन स्थतियों को संदर्भत करता है जहाँ मानव गतविधियों, जैसे क कृषि, बुनयादी ढाँचे का वकिस अथवा संसाधन नषिकरण, में वन्य पशुओं के साथ संघर्ष की स्थति होती है, इसकी वजह से मानव एवं पशुओं दोनों के लयि नकारात्मक परणाम सामने आते हैं ।
- **प्रभाव:**
 - **आर्थिक कषति:** मानव-पशु संघर्ष के परणामस्वरूप **लोगों**, वशिष रूप से कसानों और पशुपालकों की **आर्थिक कषति** हो सकती है । वन्य पशु फसलों को नषट कर सकते हैं, बुनयादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा पशुधन को हानि पहुँचा सकते हैं जससे वततीय कठनाई हो सकती है ।
 - **मानव सुरकषा के लयि खतरा:** जंगली जानवर **मानव सुरकषा** के लयि खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर उन कषेत्रों में जहाँ मानव और वन्यजीव सह-अस्तत्व में रहते हैं । शेर, बाघ और भालू जैसे बड़े शकारियों के हमलों के परणामस्वरूप गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है ।
 - **पारस्थितिक कषति:** मानव-पशु संघर्ष पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है । उदाहरण के लयि, यदमानव शकारी-पशुओं को मारते हैं तो **शकार-पशुओं की आबादी में वृद्धि** हो सकती है, जो पारस्थितिक असंतुलन का कारण बन सकती है ।
 - **संरक्षण चुनौतियाँ:** मानव-पशु संघर्ष भी संरक्षण पर्यासों के लयि एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इससे वन्यजीवों की नकारात्मक धारणा हो सकती है तथा संरक्षण उपायों को लागू करना कठिन हो सकता है ।
 - **मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** मानव-पशु संघर्ष का लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है, वशिष रूप से उन लोगों पर जनिहोंने हमलों या संपत्तिके नुकसान का अनुभव कया है । यह भय, चति और आघात का कारण बन सकता है ।

मानव-पशु संघर्ष की रोकथाम करने के लयि कौन-सी रणनीतियाँ लागू की जा सकती हैं?

- **पर्यावास प्रबंधन:**
 - **वन्यजीवों के लयि प्राकृतिक आवासों की सुरकषा और बहाली** से भोजन तथा आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों में प्रवेश करने की उनकी आवश्यकता कम हो सकती है ।
 - इसमें **वन्यजीव गलियारे** नरिमति करना, संरक्षण कषेत्रों की स्थापना करना और सतत् भूमि-उपयोग प्रथाओं को लागू करना शामिल हो सकता है ।
- **फसल सुरकषा के उपाय:**
 - **बाड़ व्यवस्था, पशुओं को भयभीत करने वाले उपकरण और फसल वविधीकरण** जैसी वधियों से फसलों को **वन्यजीवों द्वारा की जाने वाली कषति से बचाया** जा सकता है जससे कसानों का आर्थिक नुकसान कम हो सकता है ।
- **त्वरति चेतावनी प्रणाली:**
 - **त्वरति चेतावनी प्रणालियों का वकिस और कार्यान्वन** जैसे समुदायों को नकिटवर्ती वन्यजीवों की उपस्थतिके बारे में सचेत करना, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम करने एवं मानव सुरकषा के सममुख खतरों को कम करने में मदद कर सकता है ।
- **सामुदायिक सहभागिता एवं शकिसा:**
 - स्थानीय समुदायों को **वन्यजीवों के साथ सहअस्तत्व** के बारे में शकिसति करना, **संरक्षण के महत्त्व** के संबंध में जागरूकता बढ़ाना और संघर्ष समाधान तकनीकों में प्रशकिसण प्रदान करने से वन्य पशुओं के प्रति अधिक समझ तथा सहषिणुता को बढ़ावा मलि सकता है ।
- **संघर्ष समाधान तंत्र:**
 - **वन्यजीव संघर्ष प्रतिक्रिया दल अथवा हॉटलाइन** जैसे संघर्ष समाधान तंत्र स्थापति करने से समय पर नरिणय करने की सुवधि मलि सकती है और मनुष्यों एवं पशुओं के बीच संघर्ष को कम कया जा सकता है ।

मानव-पशु संघर्ष से नपिटने के लयि सरकारी उपाय क्या हैं?

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** यह अधिनियम गतविधियों, शकार पर प्रतिबंध, वन्यजीव आवासों की सुरकषा और प्रबंधन तथा संरक्षण कषेत्रों की स्थापना आदी के लयि कानूनी ढाँचा प्रदान करता है ।
- **जैविक वविधिता अधिनियम, 2002:** भारत, **जैविक वविधिता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** का एक हसिसा है । यह सुनश्चिति करता है क जैविक वविधिता अधिनियम वनों और वन्यजीवों से संबंधति **मौजूदा कानूनों का खंडन करने के बजाय पूरक** है ।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016):** यह संरक्षण कषेत्र नेटवर्क को मज़बूत करने और बढ़ाने, लुप्तप्राय वन्यजीवों तथा उनके आवासों के संरक्षण, वन्यजीव उत्पादों में व्यापार को नयितरति करने एवं अनुसंधान, शकिसा व प्रशकिसण पर केंद्रति है ।
- **प्रोजेक्ट टाइगर: प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र परायोजति योजना** है, जो वर्ष 1973 में शुरू की गई थी । यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लयि आश्रय प्रदान करती है ।

- **हाथी परियोजना:** यह एक केंद्र परियोजित योजना है और हाथियों, उनके आवासों तथा गलियारों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1992 में शुरू की गई थी।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** यह अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम या इसके प्रभावों को कम करने के उपायों को एकीकृत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा पालन किये जाने वाले दशा-नरिदेश नरिधारित करता है।



जब मानव तथा वन्यजीवों को आमने-आने से संपत्ति, आजीविका तथा जीवन की हानि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण

- ◆ कृषि संबंधी विस्तार
- ◆ शहरीकरण
- ◆ अवसंरचनात्मक विकास
- ◆ जलवायु परिवर्तन
- ◆ वन्यजीवों की आबादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव

- ◆ गंभीर चोटें, जीवन की हानि
- ◆ खेतों और फसलों को नुकसान
- ◆ जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF इंडिया ने सोनितपुर मॉडल विकसित किया जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ा गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवासों से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिसोर्ट्स को बंद करने की पुष्टि की गई थी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)


- ◆ समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- ◆ मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये मुआवजा (पीएम फसल बीमा योजना)
- ◆ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- ◆ पीड़ित/परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना

राज्य-विशिष्ट पहलें

- ◆ **उत्तर प्रदेश-** मानव-पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में)
- ◆ **उत्तराखंड-** क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बायो-फेंसिंग की जाती है
- ◆ **ओडिशा-** जंगली हाथियों के लिये खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना

मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े

	बाघ		
	2019	2020	2021
बाघों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बाघों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बाघों की अप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जाँच के दायरे में बाघों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बाघों की मृत्यु	17	8	4
जख्ती	10	7	13



	हाथी		
	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
ट्रेनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आघात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2



वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए

//

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. वाणजिय में प्राणजित और वनस्पत-जित के व्यापार-संबंधी विश्लेषण (ट्रेड रिलिटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लौरा इन कॉमर्स/TRAFFIC) के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. TRAFFIC, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अंतरगत एक ब्यूरो है।
2. TRAFFIC का मशिन यह सुनिश्चित करना है कविन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से परकृतिके संरक्षण को खतरा न हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वाणज्य में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का व्यापार संबंधी विश्लेषण (ट्रैफिक), वन्यजीव व्यापार नगिरानी नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) तथा आईयूसीएन- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। यह यू.एन.ई.पी. के तहत कार्यरत एक ब्यूरो नहीं है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- TRAFFIC यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य करता है कि जंगली पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिये खतरा नहीं है। **अतः कथन 2 सही है।**
- TRAFFIC बाघ के अंगों, हाथी दाँत और गैंडे के सींग जैसे नवीनतम विश्व स्तर पर ज़रूरी प्रजातियों के व्यापार के मुद्दों पर संसाधनों, विशेषज्ञता एवं जागरूकता का लाभ उठाने पर केंद्रित है। लकड़ी तथा मत्स्यपालन उत्पादों जैसी वस्तुओं में बड़े पैमाने पर वाणज्यिक व्यापार को भी संबोधित किया जाता है साथ ही तेज़ी से परिणाम प्राप्त करने एवं नीतिगत सुधार के कार्य से जोड़ दिया जाता है। **इसलिये विकल्प (b) सही उत्तर है।**

??????:

प्रश्न. पहले के प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से हटकर भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु शुरू किये गए हालिया उपायों की चर्चा कीजिये। (2020)

प्रश्न. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में उत्तराखंड के कई स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिये अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/human-animal-conflict-1>

